5* परिवार पेंशन

5.1 पात्रता –

1 परिवार पेंशन की पात्रता तब ही होती है जबकि शासकीय सेवक ने सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो ।

2 प्रथमतः पति अथवा पत्नी को उसकी मृत्यु अथवा पुनर्विवाह जो भी पहले हो तक देय;

3 पुत्र या अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री (वर्तमान में आय के मानदण्डों के अधीन), राज्य शासन द्वारा वर्तमान में आय की सीमा न्यूनतम रुपये 3025/–प्र.मा. निर्धारित की गई है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक या विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो। इनमें सेवा निवृत्ति के पूर्व वैध रूप से दत्तक लिये गये पुत्र/पुत्री भी सम्मिलित है।

4 शासकीय सेवक पर, जब वह जीवित था, पूर्णतः आश्रित माता–पिता यदि मृत शासकीय सेवक के विधवा अथवा बच्चे न हों, तो आय सीमा के अध्यधीन। पुत्र, अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री एवं माता–पिता को प्रति वर्ष आय सीमा का/आश्रित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

5 परिवार पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी, उसके बाद उम्र के क्रमानुसार पुत्र, पुत्री एवं उसके पश्चात माता पिता को देय होती है।

6 शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण जीवकोपार्जन में असमर्थ पुत्र/ पुत्री को क्रमशः तदुपरांत अविवाहित पुत्रियों को क्रमशः जीवन भर के लिये सबसे छोटे अवस्यक बच्चे को देय परिवार पेंशन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिवार पेंशन स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते सिविल सर्जन से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। ऐसा प्रमाण पत्र प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल से प्राप्त किया जायेगा।

7 परिवार पेंशन मृत्यु के आगामी दिनांक से देय होती है ।

परिवार पेंशन की दरें

5.2 दिनांक 1.1.06 से अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड पे) का 30 प्रतिशत न्यूनतम रूपये 3025/– के अध्यधीन परिवार पेंशन स्वीकार्य है।

उच्च दर अथवा बढी हुई दर का निर्धारण

- शासकीय सेवक द्वारा कम से कम सात वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर।
- अंतिम माह का मूल वेतन का 50 प्रतिशत अथवा वेतन की 30 प्रतिशत की दोगुनी राशि अथवा सेवानिवृत्ति के समय शासकीय सेवक को स्वीकृत पेंशन की राशि; इनमें जो भी कम हो।

यह राशि सात वर्ष तक या यदि शासकीय सेवक जीवित रहता तो सामान्य धिवार्षिकी आयु से 7 वर्ष अधिक अर्थात् वर्तमान में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक–इनमें जो भी पहले हो, तक देय होगी। उसके बाद से साधारण दर से परिवार पेंशन मिलेगी।

उपरोक्त राशि सात वर्ष तक या उस तिथि तक जिसमें पेंशनर यदि जीवित रहता तो 67 वर्ष की आयु तक प्राप्त करता, जो भी अवधि कम हो, तक पूर्ण होगी। इस अवधि के बाद साधारण दर से परिवार पेंशन मिलेगी।

टीपः–(1) परिवार पेंशन अवयस्क पुत्र/पुत्रियों को वयस्क आयु प्राप्त होगी। इस अवधि के बाद साधारण दर से परिवार पेंशन मिलेगी।

टीपः–(1) परिवार पेंशन अवयस्क पुत्र/पुत्रियों को वयस्क आय करने/जीवित माता पिता के माध्यम से अथवा अन्य प्रकरणों में विधिक संरक्षक के माध्यम से देय होती है ।

टीपः–(2) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ.बी./6/1/94/सी/चार दिनांक 29.11.94 द्वारा उपरोक्त में संशोधन कर पुत्र के लिये 25 वर्ष की आयु तक तथा पुत्री के लिये भी 25 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक (जो भी पहिले हो) परिवार पेंशन की पात्रता निर्धारित की है । यह संशोधन जारी होने के दिनांक अर्थात् 29 नवम्बर 1994 से प्रभावशील हो गये है ।

टीपः–(3) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ.बी./6/1/92/पी.डब्ल्यू.सी/ चार दिनांक 21.8.94 द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद विवाह/पुनर्विवाह करता है /करती है, उन्हें भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी । परिवार पेंशन ऐसे पुत्र/पुत्रियों को भी देय होगी, जिनका जन्म सेवानिवृत्ति के बाद हुआ हो । यह आदेश उन पेंशनरों पर भी लागू होगा जिनकी विवाह आदेश जारी होने के पहले हुआ हो ।